कृषि जोत से अर्थ

कृषि जोत का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है—(1) भूस्वामी की जोत (Owner's Holding) व (2) कृषक की जोत (Cultivator's Holding)। **भूस्वामी की जोत से अर्थ भूमि के उस आकार** (Size) **से है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है।** यह स्वामित्व भूमिधर, काश्तकार या पट्टेदार के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार **कृषक की जोत से अर्थ भूमि के उस आकार** (Size) **से है जिसको कृषक के द्वारा वास्तव में जोता जाता है।** भूस्वामी की जोत व कृषक की जोत दोनों एक ही हो सकती हैं, जबकि भूस्वामी अपनी समस्त भूमि पर खेती करता है। लेकिन, इसके विपरीत यदि भूस्वामी अपनी कुछ भूमि को लगान पर किसी अन्य को खेती करने के लिए उठा देता है और शेष भूमि को अपने खेती करने के लिए रख लेता है, तो भूस्वामी की जोत व कृषक की जोत अलग-अलग हो जाती हैं। हमारा यहां कृषि जोत से अर्थ कृषक जोत (Cultivator Holding) से है। इसी को **कार्यशील जोत** (Operational Holding) भी कहते हैं।

कृषि जोत की विभिन्न धारणाएँ

कृषि जोत की विभिन्न धारणाओं को पाँच भागों में रखा जा सकता है—(1) आर्थिक जोत, (2) पारिवारिक जोत, (3) अनुकूलतम जोत, (4) बुनियादी जोत व (5) अधिकतम जोत।

(1) **आर्थिक जोत**—आर्थिक जोत के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं :

(i) **कीटिंग** (Keating) के मत में, "आर्थिक जोत वह है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय घटाने के बाद उसे और उसके परिवार को उचित सुविधाएँ सहित पर्याप्त उत्पादन करने का अवसर देती है।"

(ii) **डॉ. मन** (Mann) की राय में, "आर्थिक जोत से अर्थ उस जोत से है जो कि किसी को न्यूनतम जीवन-स्तर पर रहने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने का अवसर दे।"

(iii) **स्टेनले जेवन्स** (Stanley Jevons) के शब्दों में, "आर्थिक जोत वह है जो कृषक को एक समुचित अच्छा जीवन-स्तर रखने में समर्थ बनाती है।"

(iv) **कांग्रेस कृषि सुधार समिति** (Agrarian Reforms Committee) के अनुसार, "आर्थिक जोत वह है जो किसान को रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती है, एक सामान्य आकार के परिवार को वर्ष भर रोजगार प्रदान करती है तथा सम्बन्धित प्रदेश की व्यवस्था को बल देती है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कृषि जोत की परिभाषाओं को कृषक के जीवन-स्तर से जोड़कर दिया गया है जिसमें न्यूनतम जीवन-स्तर या समुचित जीवन-स्तर या उचित सुविधाओं की बात कही गयी है, लेकिन जीवन-स्तर तो एक सापेक्षिक (relative) विचार है और साथ ही समय-समय पर बदलता रहता

Scanned with CamScanner

है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक जोत की परिभाषा भी समयानुसार बदलती रहती है। **वर्तमान में आर्थिक जोत से अर्थ उस जोत से लगाते हैं, जो एक कृषक को उचित रहन-सहन का स्तर प्रदान करती है।**

(2) **पारिवारिक जोत**—योजना आयोग के अनुसार, "**पारिवारिक जोत वह जोत है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और कृषि की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत एक औसत आकार वाले परिवार के लिए, उस सहायता सहित काम करते हुए (जो कृषि में सामान्यतः उपलब्ध होती है) एक हल इकाई या एक कार्य इकाई के बराबर हो।**" एक हल इकाई या कार्य इकाई से अर्थ उस क्षेत्रफल से है जिसको एक कृषक एक हल से अच्छी प्रकार से जोत सकता है व बो सकता है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जो न तो बहुत बड़ी ही और न बहुत छोटी ही।

(3) **अनुकूलतम जोत**—अनुकूलतम जोत से अर्थ उस जोत से लगाया जाता है जिसमें भूस्वामी स्वयं खेती करता है तथा उसके द्वारा उत्पादन के साधनों का इस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से समन्वय किया जाता है कि जिससे उसको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पत्ति या उपज मिलती है। **अनुकूलतम जोत को आदर्श जोत भी कहते हैं।** अनुकूलतम जोत का आकार आर्थिक जोत से बड़ा होता है।

(4) **बुनियादी जोत**—कांग्रेस कृषि सुधार समिति जिसको **कुमारप्पा समिति** के नाम से पुकारा जाता है, के अनुसार, "**बुनियादी जोत से अर्थ लाभप्रद कृषि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से है।**" इसका स्पष्ट अर्थ है कि जोत का क्षेत्रफल उतना अवश्य ही होना चाहिए कि उससे जीवन-निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो सकें। यह बुनियादी जोत आर्थिक जोत से छोटी होती है।

(5) **अधिकतम जोत—अधिकतम जोत से अर्थ भूमि के उस क्षेत्रफल से है जिसको एक कृषक अपने स्वामित्व में कानूनी रूप से रख सकता है। कांग्रेस कृषि सुधार समिति** के मत में, "अधिकतम जोत साधारणतया आर्थिक जोत के तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।" भारत में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून लागू हैं जिनके अन्तर्गत अधिकतम जोत का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न निश्चित किया गया है।

आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले घटक

आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले बहुत-से घटक हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :

(1) **कृषि पद्धति**—खेती करने का तरीका कृषि जोत के आकार को निर्धारित करता है। यदि खेती पुराने ढंग से की जाती है तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा। इसके विपरीत, यदि खेती आधुनिक साधनों—ट्रैक्टरों, मशीनों, आदि से की जाती है तो आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(2) **कृषि का स्वरूप**—विशिष्ट खेती या विस्तृत खेती करने पर आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है। इसके विपरीत, गहन एवं मिश्रित खेती में आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है।

(3) **कृषि का उद्देश्य**—कृषि का उद्देश्य भी आर्थिक आकार को प्रभावित करता है। यदि कृषि का उद्देश्य देश की आन्तरिक माँग को पूरा करना है तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है, लेकिन यदि कृषि का उद्देश्य निर्यात करना है तो आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(4) **सिंचाई सुविधाएँ**—जिन स्थानों पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। वहाँ आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है। इसके विपरीत, जहाँ सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं या वर्षा पर निर्भर रहना होता है तो वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(5) **भूमि की उर्वरा शक्ति**—भूमि की उर्वरा शक्ति आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जिन स्थानों पर भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होती है वहाँ आर्थिक जोत छोटी होती है। इसके विपरीत, जहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है वहाँ आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(6) **फसलों की प्रकृति**—आर्थिक जोत के आकार को फसलों की प्रकृति द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है। यदि फसलें जैसे सब्जी, फल, आदि की हैं तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है, लेकिन चावल, गेहूं, आदि के लिए आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(7) **मण्डियों की दूरी**—वे स्थान जो मण्डियों के पास हैं वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है, लेकिन वे स्थान जो मण्डियों से दूर हैं वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है। इस प्रकार मण्डी की दूरी भी आर्थिक जोत के आकार को प्रभावित करती है।

Scanned with CamScanner

(8) **कृषि पदार्थों का मूल्य-स्तर**—कृषि पदार्थों का मूल्य-स्तर भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि कृषि पदार्थों के मूल्य ऊँचे होते हैं तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है, लेकिन यदि कृषि पदार्थों का मूल्य-स्तर नीचा होता है तो आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

(9) **वित्तीय सुविधाएँ**—आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले घटकों में वित्तीय सुविधाएँ भी आती हैं। यदि किसी स्थान पर कृषकों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी विपरीत स्थिति में आर्थिक जोत बड़ी होती है।

भारत में जोतों का आकार एवं वितरण

भारत में प्रथम कृषि संगणना (Agricultural Census) 1970-71, दूसरी 1976-77, तीसरी 1980-81 में, चौथी संगणना 1985-86 में, पांचवीं 1990-91 तथा छठी 1995-96 में हुई है। इन संगणनाओं की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) भारत में 1970-71 में 7.05 करोड़ कार्यशील जोतें (Operational Holdings) थीं जो 1976-77 में बढ़कर 8.15 करोड़, 1980-81 में 8.94 करोड़, 1985-86 में 9.72 करोड़, 1990-91 में 10.53 करोड़ तथा 1995-96 में 11.56 करोड़ हो गयी। इससे यह अर्थ निकलता है कि कार्यशील जोतों की संख्या बराबर बढ़ रही है।

(2) **भारत में जोत का औसत आकार** (Average Size of Holding) 1970-71 **में 2.3 हेक्टेअर, 1976-77 में कम होकर 2 हेक्टेअर, 1980-81 में 1.84 हेक्टेअर, 1990-91 में घटकर 1.57 हेक्टेअर तथा 1995-96 में 1.47 हेक्टेअर रह गया।** इस प्रकार भारत में औसत जोत आकार बराबर कम होता जा रहा है।

(3) 1995-96 की गणना के अनुसार 80.3 प्रतिशत जोतें छोटी या सीमान्त थीं जिनका प्रतिशत 1970-71 में 69.7, 1980-81 में 74.5 व 1990-91 में 78 था।1995-96 की संगणना के कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं :

जोतों से अर्थ	जोतों की संख्या (लाखों में)	जोतों का प्रतिशत	जोतों का क्षेत्रफल (मिलियन में)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1. **सीमान्त जोतें** (Marginal Holdings) (1 हेक्टेअर तक की)	711.80	61.58	28.121	17.21
2. **लघु जोतें** (Small Holdings) (1 से 2 हेक्टेअर तक की)	216.43	18.73	30.722	18.81
3. **अर्ध-मध्यम जोतें** (Semi-medium Holdings) (2 से 4 हेक्टेअर तक की)	142.61	12.34	38.953	23.85
4. **मध्यम जोतें** (Medium Holdings) (4 से 10 हेक्टेअर तक की)	70.92	6.14	41.398	25.34
5. **बृहत् जोतें** (Large Holdings) (10 हेक्टेअर या अधिक)	14.04	1.21	24.163	14.79
योग	1,155.8	100.0	163.357	100.0

इन आँकड़ों में **1 हेक्टेअर से कम वाली जोतों को सीमान्त जोत, 1 हेक्टेअर से 2 हेक्टेअर तक की जोतें लघु जोत, 2 से 4 हेक्टेअर तक अर्ध-मध्यम जोतें, 4 से 10 हेक्टेअर तक मध्यम जोतें तथा 10 हेक्टेअर या उससे अधिक को बृहत् जोतें बताया गया है।** लगभग आधे राज्यों में कृषि जोतों का औसत आकार देश के औसत आकार से कम है।

सीमान्त एवं लघु कृषक
(MARGINAL & SMALL FARMER)

"**1 हेक्टेअर से कम वाली जोतों को सीमान्त जोत कहते हैं**" तथा इसके स्वामी को सीमान्त कृषक कहते हैं। इसी प्रकार कृषि संगणना में "**1 हेक्टेअर से 2 हेक्टेअर तक की जोतों को लघु जोत बताया गया है।**" अत: इनके स्वामियों को लघु कृषक कहते हैं।

भारत में इस समय सीमान्त जोतें कुल जोतों की 61.58 प्रतिशत हैं। इसका अर्थ हम यह लगाते हैं कि यहां कुल कृषकों की संख्या का 61.58 प्रतिशत कृषक सीमान्त कृषक (Marginal Farmers) हैं। इसी

Scanned with CamScanner

प्रकार यहां कुल जोतों की 18.73 प्रतिशत जोतें लघु जोतें हैं। इस प्रकार यहां कुल कृषकों की संख्या में 18.73 प्रतिशत लघु कृषक (Small Farmers) हैं। **इस प्रकार यहां के 80.31 प्रतिशत कृषक सीमान्त व लघु कृषक हैं जिनके पास कुल क्षेत्रफल का केवल 36.02 प्रतिशत ही है।**

उप-विभाजन एवं अपखण्डन का अर्थ

भूमि के उप-विभाजन (Sub-division) **से अर्थ भूमि का किन्हीं कारणों से दो या अधिक व्यक्तियों में बाँटने से है।** यह विभाजन उत्तराधिकार नियमों या अन्य किन्हीं कारणों से हो सकता है। अनेक पीढ़ियों से यह परम्परा चली आ रही है कि जब एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि उसके पुत्रों में बँट जाती है। इस बँटवारे को उप-विभाजन कहते हैं।

अपखण्डन का अर्थ है कृषक की उस समस्त भूमि से जो एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में बिखरी होती है, उनमें से प्रत्येक में से हिस्सा पाना।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन को एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यदि किसी कृषक के पास 10 हेक्टेअर भूमि और उसके दो पुत्र हैं तो प्रत्येक को 5-5 हेक्टेअर भूमि मिलेगी। इसको उप-विभाजन कहेंगे, लेकिन यदि कृषक की 10 हेक्टेअर भूमि दो स्थानों पर (5-5 हेक्टेअर) है तो दोनों पुत्रों को 2.5-2.5 हेक्टेअर भूमि दोनों स्थानों पर मिलेगी। इस प्रकार के विभाजन को अपखण्डन कहते हैं।

Scanned with CamScanner